राजस्व वांद संख्या 65/2019 अनवान नरपतसिंह बनाम उतमसिंह

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
18/10/19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार है जो हिन्दू विधि से शासिमत होते है जो पूर्व पुंरूष भवंरसिंह के वंशज है। जिसकी पैतृक खातेदारी का खेत मौजा मगरा तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1556 रकबा 163.14 बीघा का आया हुआ है। जो खातेदारी का खेत वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुआ है। उक्त खातेदरी खेत पुश्तौनी है जो वक्त सेटलमन्ट में वादीगण के परदादा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के दादा व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. भंवरसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ था। भंवरसिंह का देहान्त हो जाने से उनके विधिक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 कानसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ तथा उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति से प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के नाम भी खातेदारी मे दर्ज हुऐ, लेकिन वास्तविक रूप से वादग्रस्त आराजी मे हम वादीगण का भी समान रूप से हक हिस्सा बनता है और उसी अनुसार मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी का समान रूप से अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा पक्षकारान् के मध्य वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का विरोधाभास भी नहीं है। किन्तु खातेदारी भूमि स्वं भवंरसिंह को प्राप्त विरासती खातदेरी अधिकारी में वादीगण का समान रूप से कब्जा काश्त है तथा समान हिस्सा पर काबिज होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में नही होने से वादगीण को प्रतिवादी के साथ सह खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी होने से वादीगण यह वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है। वादीगण का वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी के संबंध मे वर्तमान जमाबंदी व खतौनी बन्दोबस्त, ग्राम पंचायत हरसाणी से प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य वारीसो की सुची तथा तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त जवाब व हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादीगण के वाद को स्वीकारते हुऐ प्रतिवादीगण के वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 1556 रकबा 163.14 बीघा में वादीगण को 1/12, 1/12 हिस्से का सहखातेदार घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की है। वादीगण ने बतौर साक्ष्य पी.डब्लू–1 के रूप में विक्रमसिंह ने अपना ब्यान ग्वाह शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर की सहमति अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने वाद में अंकित तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादगण वर्तमान जमाबंदी नकल, आंशिक नक्शा कोपी व खतौनी बन्दोबस्त नकल व ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा जारी वारीस नामा व तहसीलदार गडरारोड़ का जवाब एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पति की है। जो उन्हें भंवरसिंह से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार उतमसिंह के तीन जीवीत पुत्र क्रमशः नरपतसिंह, रेवन्तसिंह, विक्रमसिंह व उतमसिह की पत्नी रतनकंवर है। पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।	

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

Scanned by CamScanner

लिहाजा वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसील गडरारोड़ के ग्राम मगरा के खसरा नम्बर 1556 रकबा 163.14 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को 1/12, 1/12 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:38:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: